



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक: 463 / 140व्यक-सा0 / 2023

दिनांक 05/04/2023

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/
देहरादून।

02- मुख्य अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 / रा0मा0 /
ए0डी0बी0 / बल्ड बैंक,
अल्मोड़ा/देहरादून।

विषय:- श्रेणी "क" एवं "ख" के अधिकारियों के अचल सम्पत्ति का विवरण प्रपत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र संख्या-1860/01व्यक-सा0/22 दिनांक-05.12.2023।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-408/नि0सा0/प्र0स0का0/2014 दिनांक-25.08.2014 में निहित प्राविधानानुसार अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में तैनात श्रेणी 'क' तथा 'ख' के अधिकारियों के अचल सम्पत्ति का विवरण प्रपत्र यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु आपके अधीनस्थ कार्यालयों में तैनात कतिपय अभियन्ताओं के वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के अचल सम्पत्ति का विवरण प्रपत्र आतिथि तक भी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं कराये गये हैं।

महोदय आप विदित हैं कि शासनादेश सं0- 192/XXX (2)2012-25(27)2002 दिनांक 26.3.2012 के अनुसार प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों के अचल सम्पत्ति का विवरण उपरोक्तानुसार संकलित करते हुये प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक अधिकारियों के परिसम्पत्ति विवरण उत्तराखण्ड राज्य की वेबसाईड पर प्रदर्शित करने के आदेश हैं।

अतः सन्दर्भित पत्र के कम में उक्तानुसार पुनः स्मरण है कि शासनादेश दिनांक- 25.08.2014 एवं दिनांक 26.3.2012 में निहित प्राविधानानुसार अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में तैनात श्रेणी 'क' तथा 'ख' के अधिकारियों के अचल सम्पत्ति का विवरण प्रपत्र जो स्वयं द्वारा भरा गया हो प्राप्त कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि तदनुसार सूचना शासन को प्रेषित की जा सकें।

(निमी सिंह)

अधिशायी अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ हेतु।
02. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
03. समस्त वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
04. समस्त अधिशायी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
05. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने-अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ खण्डों की प्रश्नगत सूचना उक्तानुसार प्राप्त करने के फलस्वरूप इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
06. समस्त अधिशायी अभियन्ता उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. समस्त सहायक अभियन्ता/सहायक भू-वैज्ञानिक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता (अधिष्ठान)